हिंदी में पत्र व्यवहार कर देश का गौरव बढ़ाएं"

आर ई सी
असीमित ऊर्जा, अपरिमित संभावनाएं

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपारेशन लिमिटेड

RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LIMITED

(भारत सरका का उद्यम) (**A Government of India Enterprise**)

Regd Office: Core-4, SCOPE Complex, 7 Lodi Road New Delhi 110003
Tele. 24365161 Fax 24360644 Email reccorp@recl.nic.in Gram RECTRIC
Website www.recindia.com & www.recindia.nic.in

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
7, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003

दिनांक:17.6.08

कार्यालय आदेश भाग III सं. 20

विषय **:-** आरईसी लि. की निगमित सामाजिक दायित्व नीति

निदेशक मंडल ने दिनांक 26 मई, 2008 को आयोजित अपनी 337वीं बैठक में आरईसी की निगमित सामाजिक दायित्व नीति अनुमोदित की है।

इसकी प्रति **अनुबंध -क** पर सूचनार्थ संलग्न है।

ह./.
(राजेश राज)
प्रबंधक(मा.सं.)

सं. **7/03/2008**/एचआर/डी/**III/1420**

संलग्नक: अनुबंध-क

अनुबंध-क

रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति

1.0 नीति वक्तव्य :

इसके मिशन की पूर्ति हेतु :

"त्वरित विकास और ग्रामीण तथा शहरी जनता के जीवन की गुणवत्ता की समृद्धि के लिए विद्युत उपलब्धता को सुकर बनाना और देश में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरक्षण, विद्युत पारेषण और विद्युत वितरण नेटवर्क को सम्मिलित करने वाली परियोजनाओं के वित्तपोषण तथा संवर्धन हेतु एक प्रतियोगितात्मक, ग्राहक-हितैषी तथा विकास उन्मुख संगठन के रूप में कार्य करना"

आरईसी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति इस प्रकार है

"एक ऐसा उत्तरदायी निगम बने रहना, जो उपभोक्ताओं, शेयरधारकों, कर्मचारियों, स्थानीय समुदाय और साधारण समाज सहित सभी पणधारियों के प्रति अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति जागरुक है" ।

2.0 आरईसी का निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के प्रति दृष्टिकोण

आरईसी का निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के प्रति दृष्टिकोण विविध क्षेत्रों में महसूस की गई सामाजिक आवश्यकताओं के प्रत्युत्तर में परियोजनाओं की पहचान करना, उन्हें तैयार करना होगा और साथ ही उन्हें एक समयबद्ध रीति में पूर्णतया संलिप्त होकर तथा पूरी प्रतिबद्धता के साथ समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित करना होगा । ऐसे मामलों में, जहां अन्य अभिकरण/संगठन सम्मिलित हैं, वहां इसका दृष्टिकोण सहभागिता और भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करना होगा । यह एक ऐसे अभिकरण के रूप में कार्य करेगा, जो केवल कार्यक्रमों के वित्तपोषण और निधिपोषण के अलावा सशक्त रूप से महसूस की गई सामाजिक और सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सेवाओं का प्रदाय सुनिश्चित करता है । यह सहायता-अनुदान सहयोग, ब्याज मुक्त ऋणों, कारपस निधि समर्थन तथा आसान ऋण समर्थन आदि के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराएगा ।

3. उद्देश्य और लक्ष्य

एक उत्तरदायी निगम के रूप में, रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन सदैव निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास की अवधारणा का अनुपालन करते हुए ऐसे अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास करेगा जो इसके पणधारियों की अपेक्षाओं को पूरा कर सके :–

1. समुचित हस्तक्षेप और चयनित आधार पर समर्थन के साथ वाणिज्यिक रूप से वहनीय ग्रामीण विद्युत प्रदाय माडलों के प्रदर्शन को सुकर बनाना जिससे कि उन्हें अन्यत्र भी लागू किया जा सके ।

2. दक्षता विकास और प्रशिक्षण सहित ग्रामीण उद्यम और आजीविका का संवर्धन ।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य सुविधा केंद्रो/उत्पादन केंद्रों को विकास सहायता प्रदान करना ।

4. अति लघु उद्यम संवर्धन के लिए ग्रामीण तकनीको का संवर्धन और विकास ।

5. पर्यावरण के संरक्षण के लिए सतत प्रयास करना ।

6. खेलकूद तथा क्रीडाओं का संवर्धन ।

7. कर्मचारियों और उनके परिवार के विकास और कल्याण का संवर्धन ।

8. सुसंगत समुदाय विकास कार्यक्रम आरंभ करना ।

9. समाज के अत्यधिक पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए व्यावसायिक, तकनीकी और उच्चतर शिक्षा की पहलों को समर्थन देना ।

10. प्राकृतिक आपदाओं/विपदाओं के समय पर राहत/पुनर्वास उपलब्ध कराने वाले राष्ट्रीय/स्थानीय प्रयासों में शामिल होना ।

4.0 निगम सामाजिक उत्तरदायित्वों के अधीन क्रियाकलाप

आरईसी निम्नलिखित क्रियाकलापों की श्रृंखला आरंभ करके सामुदायिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करेगा :–

4.1 वैकल्पिक सीएसआर क्रियाकलाप

i) भारत सरकार के ऐसे विभिन्न दिशानिर्देशों, जो समय-समय पर लागू हों, के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों को नियोजन अवसर प्रदान करना ।

ii) भारत सरकार द्वारा जारी ऐसे विभिन्न दिशानिर्देशों, जो समय-समय पर लागू हों, के अनुसरण में शारीरिक रूप से विकंलाग व्यक्तियों (जो दृश्य, अस्थि विकलांगता आदि जैसी विभिन्न नःशक्तताओं से पीड़ित हैं) को नियोजन अवसर प्रदान करना ।

iii) विभिन्न कानूनी उपबंधों या अन्यथा कंपनी नीति के अधीन समय-समय पर यथा लागू अंशदायी भविष्य निधि, उपदान का संदाय आदि के अधीन लाभ के रूप में निगम के कर्मचारियों को आवश्यक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना ।

iv) कंपनी की विभिन्न नीतियों या विभिन्न विधियों के अधीन कानूनी उपबंधों में यथा उल्लिखित स्वास्थ्य और चिकित्सीय सुविधाओं के क्षेत्र में, जिनके अंतर्गत विभिन्न बीमारियां, नःशक्तताएं आदि भी हैं, कर्मचारियों और उनके आश्रित कुटुंब सदस्यों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना ।

v) विभिन्न कानूनी उपबंधों के अधीन यथा लागू या समय-समय पर कंपनी द्वारा यथा विनिश्चित मातृत्व फायदों के निबंधनानुसार निगम की महिला कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के आवश्यक उपाय उपलब्ध कराना ।

4.2 वैकल्पिक सीएसआर क्रियाकलाप :

4.2.1 ग्रामीण उद्योग संवर्धन

i) दक्षता विकास और प्रशिक्षण सहित ग्रामीण उद्यम और आजीविका का संवर्धन ।

ii) ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य सुविधा केंद्रो/उत्पादन केंद्रों को विकास सहायता प्रदान करना ।

iii) अति लघु उद्यम संवर्धन के लिए ग्रामीण तकनीको का संवर्धन और विकास ।

4.2.2 शिक्षा

i) भवन, विद्युत, फर्नीचर, कंप्यूटर आदि आवश्यक अवसंरचना के विकास के लिए ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों को सहायता-अनुदान सहयोग उपलब्ध कराना ।

ii) शैक्षिक, खेलकूद, नृत्य, गायन आदि प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में अद्वितीय प्रतिभा रखने वाले कर्मचारियों के बालकों को छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता ।

iii) समाज के वंचित वर्ग के बालकों को बस्ते, पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि जैसी अध्ययन सामग्री प्रदान करना ।

4.2.3 स्वास्थ्य :–

i) महिलाओं, बालकों, नःशक्त और वृद्ध व्यक्तियों पर विशिष्ट ध्यान केंद्रित करते हुए स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करना ।

ii) विद्यालयों में आवधिक रूप से टीकाकरण कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करना ।

iii) स्वास्थ्य जागरुकता कार्यक्रम/अभियान का आयोजन करना तथा मुद्रित सामग्री/फिल्म आदि के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी प्रचार करना ।

4.2.4 अन्य :–

i) खेलकूद और क्रीड़ाओं के विभिन्न क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें उनकी संभावनाओं की प्राप्ति करने के लिए संवर्धन प्रदान करना ।

ii) ललित कलाओं, संगीत और नृत्य आदि के क्षेत्र में कार्यक्रमों का आयोजन/प्रायोजन करके कला और संस्कृति का संवर्धन करना ।

iii) ग्रामीण/अर्ध शहरी क्षेत्रों आदि में खेलकूद का संवर्धन करना और वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करना ।

iv) कर्मचारियों के योग्य और उत्कृष्ट बालकों को विख्यात संस्थाओं में प्रशिक्षण और विकास के लिए प्रायोजित करना या रुचि, स्पष्ट संभावनाओं के क्षेत्रों में विशेष कोचिंग आदि के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना ।

v) सामुदायिक पौधारोपण और वनीकरण कार्यक्रमों का संवर्धन करना ।

vi) देश के किसी भी भाग में भूकंप, चक्रवात, बाढ़, अकाल/सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् आरंभ किए गए पुनर्वास कार्यक्रमों में सहयोग देना ।

vii) जागरुकता अभियान आदि सहित समुचित रूप से तैयार की गई परियोजनाओं के संवर्धन द्वारा पारिस्थितिकीय संतुलन, पर्यावरणीय अपकर्ष, प्रदूषण निवारण आदि का संवर्धन करने के लिए उपाय करना ।

viii) सरकार के विकास कार्यक्रमों आदि को संपूरित करना ।

ix) समाज के अन्य वंचित वर्गों, जैसे जम्मू-कश्मीर राज्य के विस्थापित, पूर्व सैनिक आदि को भारत सरकार के समय-समय पर यथा लागू विभिन्न निदेशों के अनुपालन में नियोजन अवसर प्रदान करना ।

x) चुनिंदा आधार पर लोक/सांस्कृतिक धरोहर के स्थानों को अंगीकार करना और उनका रख-रखाव करना ।

उपर्युक्त के अलावा, निगम, अनुमोदन के पश्चात् निगम के सामान्य हित के लिए ऐसे किसी क्रियाकलाप को स्वीकार कर सकेगा, जिसे ऊपर परिभाषित नहीं किया गया है ।

5.0 सीएसआर के अधीन वर्जित क्रियाकलाप

निगम सीएसआर के अधीन निम्नलिखित वे क्रियाकलाप नहीं करेगा जो समाज के किसी वर्ग में असंतोष को जन्म दें :–

i) धर्म से संबंधित कोई क्रियाकलाप, जैसे कि मंदिर/मस्जिद आदि का संनिर्माण ।

ii) किसी भी तरह से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले क्रियाकलाप ।

6.0 संस्थागत गठन :–

6.1 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी कृत्यों का निर्वहन **आरईसी फाउंडेशन** द्वारा किया जाएगा, जो "भारतीय न्यास अधिनियम" के अधीन एक न्यास/"सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860" के अधीन एक सोसाइटी के रूप में कार्य करेगा और वह न्यासी बोर्ड/सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन शासी निकाय द्वारा शासित होगा, जो निम्नानुसार होगा :–

अध्यक्ष एवं निदेशक	न्यासी बोर्ड का अध्यक्ष
निदेशक (वित्त)	न्यासी
प्रकार्यात्मक निदेशक	न्यासी
स्वतंत्र निदेशक	न्यासी
कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन)	न्यासी
ऊपर कथित सीएसआर कृत्यों के क्षेत्रों में कोई सुविख्यात वृत्तिक, मानदेय आधार पर	न्यास का सचिव

6.2 न्यास/सोसाइटी को एक पृथक् विलेख द्वारा भारतीय न्यास अधिनियम/संस्था ज्ञापन के द्वारा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत किया जाएगा ।

6.3 बोर्ड की बैठक में कारोबार संव्यवहार के लिए गणपूर्ति तीन न्यासियों से होगी ।

6.4 आरईसी फाउंडेशन सीएसआर क्रियाकलापों के लिए योजना तैयार करने, उनके समन्वय और कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके अंतर्गत सूचना संकलन और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना आदि है । फाउंडेशन आवधिक बैठकों के आयोजन (जो प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार होगी) और विभिन्न क्रियाकलापों के लिए निधियों के आबंटन की प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

7.0 कार्यान्वयन तंत्र

आरईसी, सीएसआर पहलों की पहचान करते समय और उनके लिए स्कीमों/परियोजनाओं की पहचान/चयन करते समय निम्नलिखित व्यापक मापदंडों पर विचार करेगा :

- स्कीमों/परियोजनाओं को आरईसी से संबंधित कारोबार के क्षेत्र से संबद्ध होना चाहिए ।
- सीएसआर क्रियाकलापों के अधीन सहायता परियोजना आधारित होनी चाहिए, न कि संदान के रूप में, ताकि सामाजिक प्रभाव और स्पष्टता दर्शित हो ।
- पहचान की गई परियोजनाओं का कार्यान्वयन करते समय, समय-सीमाओं और लक्ष्यों का पूर्व निर्धारण किया जाए ।

- सीएसआर परियोजनाएं सतत विकास के सिद्धांतों पर आधारित हों ।

8.0 नियोजन और समन्वयन

8.1.1 विनिर्दिष्ट कार्यक्रम की पहचान और उसकी तैयारी, संबंधित विनिर्दिष्ट क्षेत्रों की पहचान के लिए आवश्यकता निर्धारण सर्वेक्षण पर आधारित होगी । सर्वेक्षण के आधार पर एक ब्यौरेवार कार्यक्रम रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों, कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा और बजट की आवश्यकता के ब्यौरे होंगे । यदि आवश्यकता महसूस की जाती है तो परियोजनाओं की पहचान करने और उनके कार्यान्वयन के लिए इन क्षेत्रों में प्रचालन कर रहे विशेषज्ञ अभिकरणों/गैर सरकारी संगठनों की सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा ।

8.1.2 आरईसी फाउंडेशन, प्रत्येक वर्ष बजट संबंधी प्रावधानों के भीतर एक वार्षिक योजना तैयार करेगा और अनुमोदन के लिए उसे न्यासी बोर्ड के समक्ष रखेगा ।

8.1.3 यदि आवश्यक हो तो, लक्षित लाभार्थी व्यक्तियों, स्थानीय प्राधिकारियों, समान क्रियाकलापों में कार्यरत व्यावसायिकों और संस्थाओं से परामर्श किया जा सकेगा/उन्हें सीएसआर कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सहबद्ध किया जा सकेगा ।

8.1.4 आरईसी फाउंडेशन, विभिन्न परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में जहां कहीं आवश्यक समझा जाए, आवश्यकता के आधार पर व्यावसायिकों को नियोजित करेगा ।

8.1.5 सेवाएं/फायदे प्रदाय करने के स्थान मुख्यतः ऐसे ग्रामीण/अर्द्ध शहरी क्षेत्र होंगे, जहां यथा संभव समाज के वंचित वर्गों को लाभान्वित किया जा सके ।

9.0 मानीटरन और मूल्यांकन :–

आरईसी, निगम के कारोबार और सामाजिक उत्तरदायित्वों को एकीकृत करने की कोशिशों और सीएसआर योजनाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया को संस्थागत बना सकेगा । इसके अतिरिक्त, सीएसआर क्रियाकलापों को यथासंभव रूप में आंका जाए । आरईसी फाउंडेशन द्वारा आरंभ किए गए सीएसआर क्रियाकलापों का अर्द्ध वार्षिक समीक्षा की जाएगी और प्रगति पुनर्विलोकन रिपोर्ट आरईसी फाउंडेशन द्वारा आरईसी के निदेशक बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी ।

10.0 कार्यान्वयन – बाद के प्रभाव का मूल्यांकन

यदि आवश्यक समझा जाए तो, सीएसआर के अधीन आरंभ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के परिणामों का अपेक्षित पुनर्निवेशन और भविष्य में कार्यक्रमों को तैयार करने और उनमें सुधार करने के लिए अंतर्निवेशन उपलब्ध कराने के लिए बाह्य अभिकरणों के माध्यम से मूल्यांकन कराया जा सकेगा ।

11.0 निधियों का आबंटन :–

11.1 प्रत्येक वर्ष कर के पश्चात् लाभ के अधिकतम 0.25औ तक की राशि का कुल आबंटन सीएसआर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उद्दिष्ट किया जाएगा ।

11.2 उक्त राशि को आरईसी फाउंडेशन के खाते में जमा कर दिया जाएगा । फाउंडेशन इसे पहचान की गई परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो खाता लेखा परीक्षा और यथा आवश्यक अन्य अनुपालनों के अधीन होगा ।

11.3 उपभोग न की गई राशि, यदि कोई हो, यदि उस वर्ष खर्च नहीं हो पाई तो व्यपगत नहीं होगी और उसे आगामी वर्ष को अग्रनीत किया जाएगा, जो संचित हो सकेगी ।

11.4 निधियों का आबंटन आवश्यकता, अपेक्षा तथा संबंधित वर्ष में राष्ट्रीय आपदा के लिए प्रावधान पर निर्भर करते हुए भिन्न-भिन्न हो सकेगा तथा उसका विनिश्चय वर्ष दर वर्ष आधार पर किया जाएगा ।

11.5 आरईसी फाउंडेशन को अंतरित राशि को आरईसी द्वारा सीएसआर क्रियाकलापों के लिए प्रतिबद्ध किया गया माना जाएगा । परस्पर समझौता ज्ञापन के अनुपालन के प्रयोजन के लिए, उन्हें सीएसआर क्रियाकलापों पर खर्च किया गया समझा जाएगा ।

12.0 रिपोर्टिंग :–

12.1 सीएसआर पहलों के अंतर्गत आंरभ किए गए क्रियाकलापों की एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें पहचान किए गए क्रियाकलापों, उनके परिणामस्वरूप हुए फायदों और उन लाभार्थियों की संख्या का उल्लेख किया जाएगा ।

12.2 पहचान किए गए/कार्यान्वित क्रियाकलापों/परियोजनाओं की एक छह मासिक रिपोर्ट आरईसी के निदेशक बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी ।